न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प आकड़ली

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 319/17

बनाम

1. लव कुश मीणा पुत्र हुकमसिह मीणा जाति मीणा विरहरू तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर(राज) हाल आकड़ली बक्सीराम तहसील पचपदरा जरिये मुख्त्यार आम मनोज शर्मा पुत्र रामा अवतार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ए–83 शिवनगर झोटवाड़ा जिला जयपुर

1. विशनाराम पुत्र गुणेशाराम भील साकिन आसोतरा तह0 पचपदरा
2. लालाराम पुत्र शंकरलाल भील थान माता हिंगलाज तह0 सिवाना
3. राजेश कुमार पुत्र कमल मीणा सा0 पीलोद तह0 गंगापुर जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राज. कास्तकारी अधिनियम 1955

अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

उपस्थित . दिनांकः– 31.5.2018

1. श्री लाधुराम वकिल प्रार्थी
2. श्री अचलाराम वकिल विप्रार्थीगण

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। कि मौजा आकड़ली बक्सीराम के खेत खसरा नम्बर 258/65 मे आवागमन हेतु ख0 न0 146/93 मेसे नेशनल हाईवे तक का रास्ता आवागमन व कृषि उपयोग हेतु घोषित करवाना चाहता हुँ

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये विप्रार्थी सं. 3 की और से श्री अन्नाराम वकील ने दिनांक 23.3.18 को अन्डर टेकिंग ली उसके बाद ना तो वकालातनामा पेश किया और न हि जवाब पेश किया गया तथा दिनांक 19.4.2018 को विप्रार्थी सं. 2 कि और से श्री अचलाराम थोरी ने वकालातनामा पेंश किया परन्तु जवाब पेश नही किया तथा तहसीलदार पचपदरा से मौका जांच रिर्पोट चाही गई। तहसील पचपदरा ने मौका सम्वन्धित पटवारी व भू0अ0नि0 से जांच करवाकर जांच रिर्पोट दिनांक 31.5.18 को पेश कि है। जांच रिर्पोट 0.11 विस्वा भूमि रास्ते से प्रभावित होना जाहिर किया तथा डी एल सी दर 288100/– से प्रभावित रकबा 0.11 बीघा भूमि कि दोगुना राशि 316910/– होना बताया है। तथा रास्तें की लम्बाई 44 गटठा व चौड़ाई 5 गटठा बताई गई। रिर्पोट के संलग्न नक्शा टेस मे प्रभावित भूमि हरे रंग मे दर्शाई गई है।

हमने दोनो पक्षो को सूना तथा मजमे आम पूछताछ कर चर्चा कि गई तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत जांच रिर्पोट का अवलोकन किया गया व ध्यान पूर्वक मनन किया गया । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्याय संगत होने से स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचंना के आधार पर मौजा आकड़ली बक्सीराम के खसरा नम्बर 258/65 मे आवागमन व कृषि उपयोग हेतु ख0 न0 146/93 रकवा 50बीघा मे

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
... आकड़ली

Scanned by CamScanner

से 0.11 बीघा भूमि मे नया रास्ता घोषित किया जाता है। जो लम्बाई मे 44 गटठा व चौड़ाई मे 5 गटठा रहेगा जो चौड़ाई मे 30 फिट रहेगा ।

प्रार्थी उक्त भूमि की डी एल सी दर 288100/– से दुगनी भूमि किमत 316910/– विप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 को बतौर मुआवजा अदा करे ।विप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 के द्वारा उक्त राशि नही लेने की सूरत मे तहसील पचपदरा के कार्यालय मे जमा करावे उक्त राशि विप्रार्थी सं0 1 ता 3 प्राप्त करने के अधिकारी होगे तहसील पचपदरा को आदेशित किया जाता है। कि प्रार्थी द्वारा उक्त राशि अदा करने या जमा करवाने के बाद राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा मे रास्ते कि प्रविष्टिया अंकित कर उक्त रकबा खातौनी मे विप्रार्थी सं 1 ता 3 के खाते मे से कम किया जाकर रास्ते का रकबा राज्य सरकार के नाम दर्ज किया जावे नक्शा निर्णय का भाग माना जायेगा।

रास्ता दर्ज करने के बाद खसरा सं0 146/93 के अलग हाने वाले भागो का अलग अलग खसरा नम्बर व रकबा अंकित किया जाकर नक्शा व जमाबंदी मे अमलदरामद करावे।

निर्णय आज दिनांक 31.5.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प आकड़ली मे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भ[illegible])
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प... आकड़ली

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा